न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 19 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लालसिंह पुत्र पदमसिंह उम्र 65 वर्ष
2. मोरकंवर पत्नी पदमसिंह उम्र 85 वर्ष
3. मु.रावलकंवर पत्नी चुतरसिंह उम्र 35 वर्ष
4. सवाईसिंह पुत्र चुतरसिंह उम्र 18 वर्ष जाति राजपूत निवासी खरथाणियों का तला कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर (राज.)

बनाम **रेस्पोडेंटगण**

1.सांगसिंह पुत्र मेघसिंह उम्र 35 वर्ष
2.भाखरसिंह पुत्र मेघसिंह उम्र 30 वर्ष
3.सिरेकंवर पत्नी मेघसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी कालाथल पटवार हल्का नवातला भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)
4.प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर (राज.)
5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 86 / 2016 बअनवान मेघसिंह बनाम लालसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 13.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चीलानाडी पटवार हल्का कानोड में खेत खसरा संख्या 911 / 789 रकबा 235 बीघा, खसरा संख्या 912 / 789 रकबा 38.18 बीघा कुल रकबा 63.18 बीघा व मौजा खरथाणियों का तला, पटवार हल्का कानोड में खेत खसरा संख्या 662 रकबा 134.05 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा सम्पति है। वक्त सेटलमेंट में मूल खसरा संख्या 7689 व 662 पर अपीलांटगण व उतरदातागण के पूर्वज केशरसिंह का 1 / 2 हिस्सा तथा 12 / 2 हिस्सा पर प्रतापसिंह का कब्जा काश्त था तथा प्रतापसिंह व केशनसिंह सगे भाई उदयसिंह के पुत्र थे। तथा इसी अनुसार दोनों भाईयों के नाम पर्चा लगान जारी हुआ तथा केशरसिंह के दो पुत्र अमरसिंह व पदमसिंह थे परन्तु अमरसिंह का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 12 व 13 उनके वारिसान पदमसिंह व केशनसिंह के पूर्व में मृत पुत्र अमरसिंह के पुत्रान मेगसिंह जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उतरदाता संख्या 01 व 02 के पिता व 03 के पति है तथा मेगसिंह के भाई भंवरसिंह के नाम सही खोला गया। तत्पश्चात संवत 2022–2025 में संधारित चौसाला जमाबंदी में वादी व उनके भाई भंवरसिंह का नाम तत्कालीन हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा दिया गया तथा वादग्रस्त समस्त भूमि अपीलांट संख्या 01 से 04 के पूर्वज पदमसिंह ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा दिया। इससे व्यथित होकर वादी को यह वाद घोषणा खातेदारी अधिकार हेतु लाना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में न तो कोई गिरदावरी की नकलें पेश की और न ही वादग्रस्त भूमि जहां पर स्थित है उस स्थान की मतदाता सूची, राशनकार्ड, श्रमिक कार्ड, आधारकार्ड आदि ही पेश किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय के मार्फत मौका रिपोर्ट ही तलब करवाई गई है। उतरदातागण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया है। केवल मौखिक साक्ष्य ही पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर उतरदातागण के पूर्वज मेगसिंह व अमरसिंह का बतौर खातेदार कब्जा नहीं रहा और पूर्व में भी मेगसिंह व अमरसिंह का जो नाम लिखा गया है वह गलत रूप से लिखा गया है इस प्रकार उतरदातागण के पूर्वज मेगसिंह व अमरसिंह का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही उन्होंने करीबन 53–54 वर्षों तक कोई कार्यवाही ही की। अमरसिंह अपने पिता केसरसिंह के जीवनकाल में ही सहदायिकी संयुक्त परिवार से अलग होकर सेटलमेंट के ग्राम कानोड वर्तमान राजस्व गांव चिलानाडी, खरताणियों का तला व गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कानोड तहसील गिडा को छोड़कर सेटलमेंट के ग्राम पाटोदी उतर वर्तमान राजस्व ग्राम कालाथल पटवार हल्का नवापुरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा अपने ससुराल चले गये थे और वही पर रहने लगे और केसरसिंह के जीवनकाल में ही उनके पुत्र अमरसिंह का देहान्त वही पर हो गया था तथा उनके पुत्र वादी मेघसिंह एवं भंवरसिंह का भी जन्म पाटोदी उतर में हुआ था जो अपने ननिहाल में ही अपने मामा खेतसिंह के साथ मे ही रहे और खेतसिंह के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से और उनकी खातेदारी की भूमि को अपने नाम करवाने की वजह से वादी मेघसिंह उनके मामा खेतसिंह के गोद चले गये थे। अमरसिंह के जीवनकाल में ही वादी मेघसिंह अपने मामा खेतसिंह के गोद चले जाने के कारण वादी मेघसिंह ने ग्राम कालाथल पटवार क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा स्थित आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाते में, मतदाता सूची में अपने प्राकृतिक पिता अमरसिंह के स्थान पर गोद पिता खेतसिंह का नाम अंकित किया है और अपने प्राकृतिक पिता अमरसिंह का नाम हटा दिया है। हिन्दू विधि के मुताबिक सहदायिक में से कोई सहदायिक बंटवाड़ा लेकर अलग हो जाता है और बंटवाड़े के बाद भी उस सहदायिकों के शेष सहदायिकी परिवार के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रूप में साथ में रहते आ रहे हैं और एक सहदायिकी की मृत्यु बाद में होती है तो बंटवाड़ा लेकर अलग हुआ सहदायिक सहदायिकी सम्पति में पुनः हक नहीं करेगा। अपीलांटगण ने अपनी तरफ से अधिवक्ता श्री घमण्डाराम जी सारण साहब को नियुक्त किया था जिन्होंने No instruction plead कर दिया। No instruction plead करने के बारे में अपीलांटगण को न तो उक्त अधिवक्ता द्वारा पत्र से सूचित किया गया और न ही न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी कर सूचित किया गया। अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही के आधार पर हमें अपीलांटगण को दण्डित नहीं कर जबावदावा और उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा उतरदातागण के गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदार करना आवश्यक, उचित एवं न्याय संगत है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदातागण संख्या 01 से 03 ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में न तो कोई गिरदावरी की नकलें पेश की और न ही वादग्रस्त भूमि जहां पर स्थित है उस स्थान की मतदाता सूची, राशनकार्ड, श्रमिक कार्ड, आधारकार्ड आदि ही पेश किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय के मार्फत मौका रिपोर्ट ही तलब करवाई गई है। उतरदातागण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया है। केवल मौखिक साक्ष्य ही पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर उतरदातागण के पूर्वज मेगसिंह व अमरसिंह का बतौर खातेदार कब्जा नहीं रहा और पूर्व में भी मेगसिंह व अमरसिंह का जो नाम लिखा गया है वह गलत रूप से लिखा गया है इस प्रकार उतरदातागण के पूर्वज मेगसिंह व अमरसिंह का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही उन्होंने करीबन 53-54 वर्षों तक कोई कार्यवाही ही की। अमरसिंह अपने पिता केसरसिंह के जीवनकाल में ही सहदायिकी संयुक्त परिवार से अलग होकर सेटलमेंट के ग्राम कानोड वर्तमान राजस्व गांव चिलानाडी, खरताणियों का तला व गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कानोड तहसील गिडा को छोड़कर सेटलमेंट के ग्राम पाटोदी उतर वर्तमान राजस्व ग्राम कालाथल पटवार हल्का नवापुरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा अपने ससुराल चले गये थे और वही पर रहने लगे और केसरसिंह के जीवनकाल में ही उनके पुत्र अमरसिंह का देहान्त वही पर हो गया था तथा उनके पुत्र वादी मेघसिंह एवं भंवरसिंह का भी जन्म पाटोदी उतर में हुआ था जो अपने ननिहाल में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ही अपने मामा खेतसिंह के साथ मे ही रहे और खेतसिंह के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से और उनकी खातेदारी की भूमि को अपने नाम करवाने की वजह से वादी मेघसिंह उनके मामा खेतसिंह के गोद चले गये थे। अमरसिंह के जीवनकाल में ही वादी मेघसिंह अपने मामा खेतसिंह के गोद चले जाने के कारण वादी मेघसिंह ने ग्राम कालाथल पटवार क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा स्थित आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाते में, मतदाता सूची में अपने प्राकृतिक पिता अमरसिंह के स्थान पर गोद पिता खेतसिंह का नाम अंकित किया है और अपने प्राकृतिक पिता अमरसिंह का नाम हटा दिया है। हिन्दू विधि के मुताबिक सहदायिक में से कोई सहदायिक बंटवाड़ा लेकर अलग हो जाता है और बंटवाड़े के बाद भी उस सहदायिकों के शेष सहदायिकी परिवार के रूप में साथ में रहते आ रहे हैं और एक सहदायिकी की मृत्यु बाद में होती है तो बंटवाड़ा लेकर अलग हुआ सहदायिक सहदायिकी सम्पति में पुनः हक नहीं करेगा। अपीलांटगण ने अपनी तरफ से अधिवक्ता श्री घमण्डाराम जी सारण साहब को नियुक्त किया था जिन्होंने No instruction plead कर दिया। No instruction plead करने के बारे में अपीलांटगण को न तो उक्त अधिवक्ता द्वारा पत्र से सूचित किया गया और न ही न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी कर सूचित किया गया। अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही के आधार पर हमें अपीलांटगण को दण्डित नहीं कर जबावदावा और उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा उतरदातागण के गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक, उचित एवं न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 पर भी आदेश नहीं पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

CCC 2019(3) Page 117 (S.C.)
DNJ (SC) 1998 Page 47

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि उभयपक्ष एक ही परिवार के है। जमाबंदी संवत 2018–22 में मेघसिंह, भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह का खातेदार रूप में इन्द्राज है तथा संवत 2022–2025 में संधारित चौसाला जमाबंदी में वादी व उनके भाई भंवरसिंह का नाम तत्कालीन हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता ने आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 का पेश किया जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जबाव वादी/रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया जिसकी प्रति वकील अपीलांट/प्रतिवादीगण को दी गई पर बहस के वक्त वह उपस्थित ही नहीं आए। वकील अपीलांट व अपीलांटगण सम्यक रूप से सूचित थे। अपीलांटगण की तरफ से उपस्थित नहीं होने से न्यायालय किसी का इंतजार नहीं करेंगा कि वह उपस्थित हो तो आगामी कार्यवाही हेतु अग्रसर हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि के अनुरूप प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक कमी नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी ग्राम कानोड संवत 2012 से 2031 (प्रदर्श–1) के अनुसार वादग्रस्त खसरा संख्या 789, खाता संख्या 132 में प्रतापसिंह केसरसिंह पिता उदयसिंह कौम राजपूत किना साकिन देह दर्ज हुआ तथा खाता संख्या 174 खसरा संख्या 662 में केशरसिंह हिस्सा 2/3 प्रतापसिंह हिस्सा 1/3 पिसरान उदयसिंह कौम राजपूत साकिन देह दर्ज हुआ है (EXP-2)। जमाबंदी (केवट खतौनी) ग्राम कानोड संवत 2018–2022 में उपरोक्त खसरों के संबंध में प्रविष्टियां इस प्रकार रही है– खाता संख्या 136 व 175 पदमसिंह वल्द केसरसिंह 1/2 हिस्सा पदमसिंह, मोडसिंह पिता प्रतापसिंह 1/2, मेगसिंह भंवरसिंह पिता अमरसिंह 1/3 कौम राजपूत साकिन देह खातेदार (EXP-3)। इस प्रविष्टि में हिस्सा सही–सही अंकित नहीं है। इसमें त्रुटि अवश्य है। खसरा संख्या 789 में केसरसिंह व प्रतापसिंह सगे भाई होने से इसमें प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा है जबकि खसरा संख्या 662 में केसरसिंह का 2/3 हिस्सा है। संवत 2018–21 के ठीक इसके बाद वाली तहरीर चौसाला जमाबंदी संवत 2022–2025 (EXP-4)में प्रविष्टि इस प्रकार है–"पदमसिंह वल्द केसरसिंह 1/2पदमसिंह, मोडसिंह पिता प्रतापसिंह 1/2 कौम राजपूत साकिन देह खातेदार। इस प्रकार संवत 2022–2025 की चौसाला जमाबंदी से पूर्व वाली चौसाला जमाबंदी की प्रविष्टियों को **बिना किसी सक्षम आदेश के अभाव में हूबहू दोहराना था जो नहीं किया गया। यह जमाबंदी तहरीर करने के दौरान हुई लेखन–त्रुटि(पेन मिस्टेक) मात्र है क्योंकि जमाबंदी में परिवर्तन के संबंध में किसी आदेश या कारण की टिप्पणी के लिए निर्धारित कॉलम में परिवर्तन के आशय का कोई उल्लेख नहीं है। वह कॉलम खाली है।** भू–अभिलेख नियमावली में ऐसी लिखित–त्रुटि को "फर्द बदर" मात्र से राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा संशोधन करना विहित है। इसके लिए वाद की भी आवश्यकता नहीं है। **बिना किसी सक्षम आदेश या कारण के**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जमाबंदी तहरीर करते वक्त छूटी प्रविष्टि को कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है, जो आर.ओ. के द्वारा कभी भी अभिलेख निरीक्षण के दौरान दृष्टिगोचर हो।

अपीलांट पक्ष की यह दलील कि अमरसिंह कानोड़ से पाटोदी चले गए, मानने योग्य नहीं है। **किसी खातेदार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से उसके अभिलिखित खातेदारी हकों का समापन नहीं होता।**

इनका यह कथन भी अभिलेखीय रूप से साबित नहीं है कि अपीलांट पक्ष का मेघसिंह अपने मामा खेतसिंह के गोद चला गया था। ऐसा कोई गोदनामा रिकॉर्ड पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गोद चला गया है तो उसकी प्राकृतिक पिता के विरासतन प्राप्त खातेदारी को समाप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही आवश्यक है। **स्वेच्छापूर्ण मनमाने ढंग से और अविधिक तरीके से उसका नाम खातेदारी से पृथक नहीं किया जा सकता और वह भी उन्हे सूचना दिये बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना नाम जमाबंदी से विलोपित कर दिये।** समान न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपीलांट का सुनवाई का अवसर मांगना भी सही नहीं है क्योंकि बिना सुनवाई के रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी से अकारण हटा दिये गए। रेस्पोडेंट का उनके अभिलिखत खातेदारी हकों से महरूम किया जाने से उनके साथ घोर अन्याय हुआ। इसलिए अब भी उनके साथ न्याय होना चाहिए यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है।

वादी द्वारा जरिये नियमित वाद विधि पूर्ण और आवश्यक संशोधन का हकदार होने से और राजस्व अभिलेख संधारण नियमावली में विहित होने से उक्त संशोधन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय किया जाकर **रेस्पोडेंट को उनके खातेदारी हकों को पूर्ववत घोषित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। यह कानून सम्मत हक तो उन्हे तभी मिल जाना चाहिए था परन्तु इसमें देरी हुई जो लाजमी नहीं है।**

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2016 बअनवान मेघसिंह बनाम लालसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

13/9/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner